

महत्वपूर्ण एवं खास

हमले में घायल बुजुर्ग की उपचार के दौरान मृत्यु

कोरबा (आरएनएस)। विगत दिनों कोरबा-चांपा मार्ग में बसे उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नवापारा में किसी धारदार वस्तु के हमले में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग ग्रामीण की अस्पताल में उपचार के दौरान हुई मृत्यु हो गई। कोरबा शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उक्त मामले में पुलिस अब हत्या का अपराध कायम कर अपराधियों की तलाश में जुट गई है। उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत नवापारा गांव में विगत दिनों यह वारदात सामने आई थी, जहां अपने घर के बाहर सो रहे ग्रामीण पर किसी अज्ञात हमलाचोरों ने धारदार हथियार से हमला कर उसे लहलुहान कर दिया था। गंभीर रूप से घायल ग्रामीण को अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। मामले में उरगा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच कार्यवाही में जुट गयी है।

सबमर्सिबल पंप व पाइप की चोरी होने से संस्था में पानी की समस्या

कोरबा (आरएनएस)। हरदीबाजार थाना अंतर्गत भांडापारा स्थित शास्त्री हाई स्कूल के पीछे बाउंड्रीवाल के अंदर लगे सबमर्सिबल पंप व पाइप को 15 फरवरी की मध्यरात्रि को अज्ञात चोरों ने कनेक्शन काट कर चोरी कर ली। संस्था के प्राचार्य ने 16 फरवरी को थाना जाकर थाना प्रभारी के नाम सबमर्सिबल पंप व पाइप चोरी होने की लिखित शिकायत की थी, लेकिन इस दिशा में आज तक न कोई सुराग मिला न तो चोर को पुलिस पकड़ पाई संस्था के प्राचार्य पदमिनी रात्रे ने कहा कि सबमर्सिबल पंप व पाइप चोरी होने से संस्था में पानी की समस्या गंभीर हो गई है।

हादसे में चार लोगों की मौत पर सीएम साय ने जताया दुख

रायपुर (आरएनएस)। सीएम साय ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में बोलरो-कंटेनर के बीच हुई सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु की खबर अत्यंत दुःखद है, हादसे में 6 लोगों के आंशिक रूप से घायल होने की भी खबर है, सरगुजा जिला प्रशासन द्वारा घायलों को त्वरित इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है, प्रशासन को बेहतर चिकित्सकीय व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं, ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति एवं शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने व घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ, बता दें कि यह घटना ग्राम विशुनपुर प्लांट के पास मुख्य मार्ग एनएच-43 पर हुई, महाशिवरात्रि के पर्व पर श्रद्धालु किलकिला शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे, यहां से सभी रेवापुर-सखौली लौट रहे थे, इसी दौरान ट्रक और श्रद्धालुओं से भरी बोलरो क्रमों के बीच भिड़ंत हो गई, हादसा इतना जोरदार था कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, कार में 11 से ज्यादा लोग सवार थे, हादसे में मासूम समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, साथ ही अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं।

बिना कंडक्टर लाइसेंस के मिले यात्री

वाहनों के कंडक्टरों पर कार्यवाई बलरामपुर रामानुजगंज (आरएनएस)। जिला बलरामपुर रामानुजगंज, झारखंड राज्य का सीमावर्ती क्षेत्र है इस मार्ग से झारखंड एवं बिहार राज्य के लिए बसें संचालित होती हैं, इस मार्ग के संचालित यात्री वाहनों पर प्रभारी अधिकारी परिवहन चेकपोस्ट रामानुजगंज द्वारा बिना कंडक्टर लाइसेंस के मिले यात्री वाहनों के कंडक्टरों पर कार्यवाही की जा रही है, परिवहन चेक पोस्ट अधिकारी ने बताया की बिना कंडक्टर लाइसेंस के विरुद्ध परिवहन विभाग सख्त है, मोटरयान नियमों अनुसार यात्रियों को सुविधा देने हेतु बस के कंडक्टर के पास लाइसेंस होना चाहिए, बिना कंडक्टर लाइसेंस के विरुद्ध चेकिंग जारी है, 30 यात्री बसें के कंडक्टर के पास लाइसेंस नहीं होना पाया गया साथ ही कंडक्टर वर्दी में नहीं थे जिसे लगभग 38000 समान शुल्क वसूल किया गया। प्रभारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिन बसें के कंडक्टरों के पास कंडक्टर लाइसेंस नहीं है उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी, साथ ही कंडक्टर लाइसेंस बनवाने हेतु समझाशा भी दी जा रही है।

पति-पत्नी को बंधक बनाकर लाखों की लूट करने वाले दो अंतर्राज्यीय लूटेरे गिरफ्तार

मुंगेली । आरएनएस जिले के लोरमी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक प्रधान पाठक के घर में घुसकर उसको एवं उनकी पत्नी को बंधक बनाकर चाकू एवं कट्टे की नोक पर सोना-चांदी व नगदी रकम लूटने वाले 02 आरोपियों को मुंगेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है तथा घटना पर प्रयुक्त देशी कड़ा एवं लूट की रकम, सोना-चांदी जप्त किया गया है। आरोपी पूर्व में भी ट्रेन हाईजैकिंग, बैंक डकैती व हथियार तस्करी जैसी बड़ी वारदात को दे चुके हैं अंजाम।

08.00 बजे किराना दुकान से समान लेकर अपने घर आया तो देखा कि घर का मुख्य द्वार अंदर से बंद था जिसे अंदर से खोलवाने पर दरवाजा के पीछे छिपे दो नकाबपोश लूटेरे प्रार्थी को अंदर ले गये एवं प्रार्थी व उसकी पत्नी को चाकू और कट्टे की नोक पर धमकाकर घर अंदर आलमारी में रखे गहने लगभग 10 तोला सोना और चांदी 01 किलो चांदी कीमती करीबन 08 लाख रुपये एवं नगदी रकम 03 लाख जुमला कीमती 11 लाख रुपये लूट कर प्रार्थी एवं उसकी पत्नी को घर अंदर बंद कर बाहर से दरवाजा का कुण्डी लगाकर भाग गये कि रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 309 (4), 331 (6), 127 (2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक

मुंगेली भोजराम पटेल (भापुसे) के द्वारा प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली नवनती कौर छाबडा एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) लोरमी माधुरी धिरीही के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर प्रकरण में घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया एवं सायबर सेल से तकनीकी साक्ष्य एकत्रित कर संदेहियों का लगातार पता किया गया, विवेचना दौरान पूर्व के प्रकरण में संलिप्त संदेही राजकुमार कश्यप पिता सीताराम उम्र 55 साल साकिन टखरपुर थाना लोरमी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार किया। आरोपी राजकुमार कश्यप का मेमोरान्डम कथन लिया गया जो दिनांक घटना को अपने साथी तौहीद खान जद व जद का

साथी को बुलवाकर द्वारिका वैष्णव के घर लूटपाट करवाना स्वीकार किया गया तथा लूटे गये रकम में से 25000 रुपये को प्राप्त करना बताया तथा उक्त रकम में से 11000 रुपये को खर्च हो जाना तथा तीनों आरोपी को फरार होना बताया। आरोपी राजकुमार कश्यप के कब्जे से 14000 रुपये को जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा का सबूत पाये जाने से दिनांक 23.02.25 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। आरोपी राजकुमार कश्यप के बयान के अनुसार आरोपियों की पता-तलाश कर एक आरोपी तौहीद खान पिता अकबर खान को इंदौबानी मोड़ थाना सोमनी नेशनल हाईवे में घेराबंदी कर संदेही अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार किया, जिसके कब्जे से एवं बताये स्थान से

क्रमशः सोने का झुमका 01 जोड़ी किमती लगभग 1.5 लाख 01 नंग नथनी किमती लगभग 26 हजार 01 नंग अंगुठी किमती लगभग 47 हजार 01 नंग लॉकेट किमती लगभग 13 हजार 01 सेट चोकर किमती लगभग 02 लाख 78 हजार तथा चांदी का 02 जोड़ी लच्छा किमती लगभग 60 हजार 01 जोड़ी पालक किमती लगभग 27 हजार 01 नंग करधन किमती लगभग 20 हजार 01 जोड़ी पालक किमती लगभग 03 हजार 01 नंग कटोरी किमती लगभग 500 सौ बिछिया 02 जोड़ी किमती लगभग 500 सौ चम्मच 03 नंग किमती लगभग 500 सौ की-रिंग 02 नंग किमती लगभग 02 हजार चुडा 02 जोडा किमती लगभग 01 हजार मुकुट 01 जोड़ी किमती लगभग 02 हजार तथा 02 नंग मोबाइल व घटना में प्रयुक्त 02 मो.सा तथा लूट के नगदी

रकम 90 हजार को अपने एचडीएफसी बैंक के खाता में जमा करना एवं 1300 रुपये जुमला किमती 734000 लगभग व 01 नंग देशी कड़ा आरोपी के कब्जे से जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा का सबूत पाये जाने से दिनांक 26.02.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त दोनो आरोपियों द्वारा वर्ष 2013 में गैंगस्टर उपेन्द्र सिंह उर्फ कब्रार को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए ट्रेनहाईजैक किया गया था एवं वर्ष 2014 में दुर्ग जिले में ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुई रॉबरी की घटना में हथियार उपलब्ध कराया गया था। उक्त आरोपियों द्वारा कोरबा, राजनांदगांव एवं अन्य जिलों में भी लूट, डकैती जैसे कई गंभीर अपराधो को अंजाम दिया जा चुका है।

फर्जी मोबाइल सिम जारी करने वाले गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार

आरोपी फर्जी सिम को अन्य लोगों को बेचते थे जिनका उपयोग साइबर फ्रॉड में होता था



कोरबा । आरएनएस

कोरबा पुलिस ने फर्जी मोबाइल सिम जारी करने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है तथा उनके पास से 7 मोबाइल, 1 फिंगर स्कैनर बरामद किया है। आरोपियों द्वारा लगभग दो हजार फर्जी सिम बेचे जाने की जानकारी मिली है।

सीएसपी दर्दी विमल कुमार पाठक (भा. पु.से.) के नेतृत्व में कटघोरा थाना प्रभारी धर्म नारायण तिवारी द्वारा कटघोरा पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त टीम के साथ मिलकर क्षेत्र में संचालित मोबाइल सिम विक्रेताओं व एजेंटों की जांच की गई। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों ने चौंकाने वाला खुलासा किया। कटघोरा थाना क्षेत्र के बुरी, धवईपुर, डुडगा, कटघोरा सहित अन्य

स्थानों से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मोबाइल सिम जारी करने के लिए फिंगर स्कैनर का इस्तेमाल करते थे और धोखे से एक ही व्यक्ति के फिंगरप्रिंट को तीन-चार बार स्कैन कर कई सिम कार्ड जारी कर लेते थे। इन फर्जी सिम कार्डों को मोटी रकम में बेचा जाता था, जिससे साइबर अपराधों को अंजाम दिया जाता था। प्रारंभिक जांच में करीब 2,000 फर्जी सिम जारी कर बेचे जाने की जानकारी सामने आई है।

सिम कार्ड जब्त किया है। सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 318,(4), 336(3), 340(2), 316(5), 3(5)कचहस् एवं 66(घ) आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है।

महाशिवरात्रि के अवसर पर पलटन घाट शिवलिंग मंदिर में धूमधाम से पूजा अर्चना की गई

रामानुजगंज । आरएनएस

महाशिवरात्रि के अवसर पर नगर के विभिन्न शिवालियों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी वही आजादी के पहले से पलटन घाट के बगल में शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती रही है वही यहाँ कुछ वर्षों से स्थानीय उत्साही युवाओं के द्वारा महाशिवरात्रि पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ के साथ-साथ झारखंड के भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचे। यहाँ के संबंध में विकास तिवारी ने बताया है कि हमारे दादा स्वर्गीय पुजारी बाबा के द्वारा महाशिवरात्रि को पूजा अर्चना प्रारंभ कराया गया था। शिवरात्रि के दिन यहाँ नगर से

बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना करने पहुंचते थे। आज भी परंपरा जारी है तिवारी बताते हैं कि प्रत्येक वर्ष मेरे परिवार से लोग यहां पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। विश्व हिंदू परिषद के आशीष सिंह एवं आकाश तिवारी सहित अन्य उत्साही युवाओं के द्वारा यहां महाशिवरात्रि के पूजा अर्चना को भव्यता प्रदान की गई एवं भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ की नैसर्गिक खूबसूरती लोगों को करती है आकर्षित..... शिवलिंग कन्हर नदी के तट पर स्थित है यहाँ की नैसर्गिक खूबसूरती देखते बनती है। यदि यहां धर्म प्रेमी लोग ध्यान देते हैं तो यह स्थान और रमणीय बन सकता है।

पीएच रोड में सरेंआम बाइक सवार से 90 हजार की लूट

कोरबा । आरएनएस

कोरबा शहर के व्यस्त क्षेत्र पावर हाउस रोड में मंगलवार की दोपहर सरेंआम लुट (झपटमारी) की वारदात हो गई। एक बाइक में सवार दो युवकों में से एक ने इस वारदात को अंजाम दिया और तेजी से भाग निकले। मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक इस वारदात को पावर हाउस रोड में संचालित दिशा मोबाइल के सामने मंगलवार दोपहर करीब 2रू30 बजे अंजाम दिया गया। मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 15 डीडी 8472 में सवार चालक हेलमेट पहने था जबकि पीछे बैठा आरोपी युवक थैले को झपटकर अपने कब्जे में लेता नजर आया। कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक मोतीलाल पटेल ने बताया कि दोपहर के वक्त मानिकपुर पुलिस सहायता केंद्र अंतर्गत गायत्री नगर निवासी अमीचंद्र

म्यूल अकाउंट फ्रॉड के मामले में पीएसओं एजेंट, बैंक कर्मचारी सहित 19 गिरफ्तार

बिलासपुर । आरएनएस

बिलासपुर पुलिस ने ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के अवैध लेन-देन में इस्तेमाल किए गए फर्जी बैंक अकाउंट (म्यूल अकाउंट) धारकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पीओएस एजेंट (फर्जी सिम कार्ड बेचने वाला), कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक के कर्मचारियों सहित कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा उपलब्ध कराये गये म्यूल अकाउंट्स के जरिए करीब 3 करोड़ रुपये का अवैध ट्रांजेक्शन होने की जानकारी मिली है।

बिलासपुर । आरएनएस

बिलासपुर पुलिस की 10 टीमों ने 20 से अधिक स्थानों पर एक साथ छापा मारकर ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के अवैध लेन-देन में इस्तेमाल किए गए फर्जी बैंक अकाउंट (म्यूल अकाउंट) धारकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पीओएस एजेंट (फर्जी सिम कार्ड बेचने वाला),

कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक के कर्मचारियों सहित कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साइबर क्राइम पोर्टल की रिपोर्ट, बैंक ट्रांजेक्शन, एक ही व्यक्ति के नाम पर कई बैंक अकाउंट, डिजिटल अरेस्ट, शोयर ट्रेडिंग फर्जी ऐप, क्रिप्टो करेंसी निवेश, गूगल

रिस्कू टास्क, टेलीग्राम टास्क, बैंक केवाईसी अपडेट और गूगल सर्च से जुड़े तकनीकी साधनों के आधार पर जांच की। इसी दौरान इन फर्जी खातों और साइबर ठगी से जुड़ी जानकारी सामने आई। जिसके बाद रेंज साइबर थाना बिलासपुर, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा विभिन्न थानों के 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने मिलकर यह कार्रवाई की। साथ ही म्यूल अकाउंट फ्रॉड के करीब 97 लाख रुपये फ्रीज किया गया है। आरोपियों ने दिल्ली, अलवर (राजस्थान) समेत कई स्थानों पर करीब 300 से अधिक साइबर ठगों को म्यूल बैंक अकाउंट और फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध करा रहे थे।

ड्रग्स के साथ पकड़ाया राजस्थान का अंतर्राज्यीय आरोपी

रायपुर । आरएनएस

राजधानी रायपुर की थाना पुरानी बस्ती पुलिस ने राजस्थान का अंतर्राज्यीय आरोपी को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 11 हजार रुपये कीमत का 07.15 मिलीग्राम ड्रग्स जब्त किया है। मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 21(बी) नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

द्वारा बताया

द्वारा बताया व्यक्ति की पतासाजी कर चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम देवीदास वैष्णव बताया था। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास मादक पदार्थ ड्रग्स खोजे जा रहे हैं। ड्रग्स के संबंध में पूछताछ करने पर देवीदास वैष्णव द्वारा पुलिस टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी देवीदास वैष्णव को गिरफ्तार कर उसके

कब्जे से 07.15 मिलीग्राम ड्रग्स कीमती लगभग 11,000 रुपये जप्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना पुरानी बस्ती में धारा 21(बी) नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही किया गया। प्रकरण में फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर अन्य आरोपियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है। गिरफ्तार आरोपी देवीदास वैष्णव पिता सत्यनारायण वैष्णव उम्र 33 वर्ष मूलतः मुंबई की राजधानी फलोदी जिला फलोदी थाना का निवासी है जो फिलहाल रायपुर के अशोक वाटिका के पास महादेव घाट रोड भाटागांव में रहता है।

संघर्ष की मिट्टी से बनी सरिता की तक्रदीर

रायपुर

गौव की उस कच्ची पगडंडी पर सरिता बाई नोशिया अक्सर नंगी भाँव चला करती थीं। धूप कितनी भी तेज हो, बारिश कितनी भी जोर से बरस रही हो, या ठंड कितनी भी कड़ाके की हो उन्हें हर हाल में रोज की मजदूरी पर जाना ही होता था। उनके लिए दिन का मतलब था सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत, और रात का मतलब था अगले दिन के काम की पता।

बदल सकता है? लेकिन उनके पास खोने को कुछ नहीं था, तो वे जुड़ गईं। धीरे-धीरे वे समूह की बैठकों में जाने लगीं, और वहाँ उन्होंने कुछ ऐसी कहानियाँ सुनीं, जो उनकी अपनी कहानी से मिलती-जुलती थीं। उन महिलाओं ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी थी। सरिता बाई ने भी हिम्मत जुटाई और सीआईएफ से लोन लेकर ईंट बनाने का काम शुरू किया। शुरुआत में मुश्किलें आईं, गौव के कुछ लोग हँसते थे, कुछ ताने मारते थे, और कुछ कहते कि यह काम महिलाओं

के लिए नहीं है। लेकिन सरिता बाई ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मिट्टी गूँधने से लेकर ईंट पकाने तक, उन्होंने सब कुछ खुद किया। उनका हाथ खुरदरा हो गया, लेकिन आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मज़बूत हो गया। धीरे-धीरे उनका काम चल निकला। जब उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 1 लाख रुपये का लोन लिया, तो उनका व्यवसाय और भी बढ़ गया। अब वे हर साल दो लाख रुपये से ज्यादा कमाते लगीं। जिन लोगों ने उन पर ताने कसे थे, वही अब उनकी मेहनत की तापीक करने लगे। जहाँ कभी उनके पास

साइकिल तक नहीं थी, अब उन्होंने अपने लिए स्कूटी खरीद ली और अपने पति के लिए बाइक। खेतों में भी वे अब मजदूरी नहीं करतीं, बल्कि अपनी खुद की ज़मीन पर खेती करती हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अब उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और उनका भविष्य सुरक्षित हो गया है। सरिता बाई अब सिर्फ एक मजदूर नहीं, बल्कि एक सफल उद्यमी हैं। वे कहती हैं, पहले मैं दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी, लेकिन अब मैं अपनी मेहनत से खुद का व्यवसाय चला रही हूँ। मैंने अपनी काबिलियत को पहचाना और अपनी तकदीर खुद लिखी।

SJU - Contact No. +91 9301915303 **E-mail ID - sjunion29@gmail.com**

Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526

अधिकार से न्याय तक

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन ने मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं सीनियर एडवोकेट श्री तारामणी श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं वॉकिंग सेल के सदस्यों कृ. सी.बी.वर्मा, श्रीमती केका श्रीवास्तव, श्रीमती टनवी राकेश एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अत्याचार मानवाधिकार इन सबकी तथ्य को प्रस्तुत होने पर, उक्त लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य एवं लेटर वेरसाइट, गरीब, परिवारिका, विधवाओं के अत्याचार के लिए कार्य किया जायेगा।

आवश्यकता

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ संरक्षक एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार-प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधुनिक नियुक्तियों की जायेगी। प्रत्येक ब्लॉक इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फॉर्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

उद्देश्य एवं नियुक्तियाँ

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति को समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिन्याय एवं सौजन्य के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

मुख्य बिन्दु

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत विधिक सहायता को व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यटन संरक्षण एवं पर्यटनवासी सम्बंधी वेतना हेतु भी जागरूकता एवं कार्य प्रस्तुत करेगा।
- एक वकीलसदस्य प्रत्येक ब्लॉक के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आर्थिकसुविधा के अधिकार, अनुसूचित जाति-अनुसूचित वर्ग के अधिकारों के सम्बन्ध में विधिक एवं सैनिकी सौध के कर्मियों को इस संघ द्वारा संबन्धित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सही किया जायेगा।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्तियों को परेशानी से पहुँचाना संभव है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समर्थ सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा सैनिकी शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विस्तृत कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्गत, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कृषिद्वारा को हर कदम के लिए करवाएगा तथा अत्याचार को रोकने में सक्षम होगा।

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU